



Office of the District Basic Education Officer
BAGHPAT

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that KBM INTERNATIONAL SCHOOL, SINGHAWALI AHIR BAGHPAT UTTAR PRADESH is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School (class 1 to 8) The Recognition number allotted to KBM INTERNATIONAL SCHOOL is 2016-17 UPS ENGLISH. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

03-01- 023 (DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary, Primary and Junior School

5. Recognition No.

2016-17 UPS ENGLISH

2

DATE - 03-01-2023

PLACE - BAGHPAT

Prin

Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

Manager

Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

District Basic Education Officer

Validity unknown

Digitally signed by District Basic Education Officer
Date: 2023.01.03 11:41:55
Reason: For Digital Signature
Location: BAGHPAT





Office of the District Basic Education Officer
BAGHPAT

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that KBM INTERNATIONAL SCHOOL, SINGHAWALI AHIR BAGHPAT UTTAR PRADESH is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School (class 1 to 8). The Recognition number allotted to KBM INTERNATIONAL SCHOOL is 2016-17 UPS ENGLISH. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

03-01- 023 (DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

Old

4. School Type

Pre-Primary, Primary and Junior School

5. Recognition No.

2016-17 UPS ENGLISH

2

DATE - 03-01-2023

PLACE - BAGHPAT

Pain
Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

K. B. M. International School
Manager
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghpat (U.P.)

District Basic Education Officer

Validity unknown

Date: 2023-01-03 11:24:55
Reason: For Digital Signature
Location: BAGHPAT



प्रश्नक

जिला शैक्षिक शिक्षा अधिकारी,

बागपत।

सेवा में

प्रधानक,

के०बी०एम०इन्टरनेशनल स्कूल, सिधौली अहीर,

बागपत।

पत्रांक: 1080/1442-43

/2016-17

दिनांक: 08-06-2016

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय महोदय,

आपके वर्ष 2015-16 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ परचातुर्वर्ती पत्राचार तथा डॉ० प्रभात कुमार, खण्ड शिक्षा अधिकारी, पिलाना के निरीक्षण एवं मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (शैक्षिक) प्रथम मण्डल मेरठ की अध्यक्षता वाली गठित मान्यता समिति में लिए गये निर्णय के प्रति दिखे गये निर्देश से, मैं के०बी०एम०इन्टरनेशनल स्कूल, सिधौली अहीर, तहसील बागपत (बागपत) का तारीख 02/05/16 से 07/05/16 तारीख तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की समूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है -

01. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के परचात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
02. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
03. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथार्थतः नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, इसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
04. पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरितियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक मूकक बैंक खाता रखेगा।
05. विद्यालय किसी कॉर्पोरेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा।
06. विद्यालय किसी बालक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं लायेगा।
07. विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।
- (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में प्रवेश नहीं देगा।

Train

Principal

K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Bagpat (U.P.)

Manager

K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Bagpat (U.P.)

(4) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित शिक्षक वर्ग के अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निम्नलिखित प्रस्ताव/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया जाना।

(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन क्या अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रावधान पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाठ वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अधिष्ठातृ करें।

(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करना है।

(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियतित नहीं करेंगे।

07. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यवर्षों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

08. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के भवन और संरचनाओं की बनाए रखना। सम्बंधित ग्राण्ड शिक्षा अधिकारी की अंतिम निरीक्षण के समस्त रिपोर्ट की मूला प्रतिलिपियां निम्नानुसार पत्रावली में अंकित हों-अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक सि/एस/0/9814/2015-16 दिनांक 16/02/2016 द्वारा मण्डल सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक) प्रथम मण्डल मेरठ कार्यालय में प्रेषित पत्रावली में जॉब अधिकारी की आज्ञानुसार प्रसूचिकाओं का निवर्तन अंकित है।

विद्यालय परिसर का संप्रफल।

कुल निर्मित क्षेत्र।

कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल।

कक्षाओं की संख्या।

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्षा।

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय।

पेयजल संधि।

मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई।

बाधा रहित पहुँच।

अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।

09. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के

कक्षाएं नहीं बसाई जाएंगी।

10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के लिए किया जाता है।

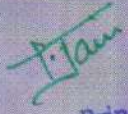
विद्यालय का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 (1960 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रहित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति/संस्थानों के समेत



Manager

K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghat (U.P.)



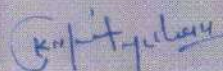
Principal

K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghat (U.P.)

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चाहेड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
D/Sr Commr - 0908070/208
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 2016-17 UPS अग्रेजी-36 हैं। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय एसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निर्देश/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी केवल अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधों शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. आप द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है। यदि आप द्वारा कूट रचित अभिलेख एवं तथ्य प्रस्तुत कर मान्यता प्राप्त की है, तो कूट रचना संज्ञान में आने पर अथवा विभागीय नियमों का पालन न करने के कारण विभाग द्वारा प्रदान की गयी मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
18. प्रति छात्र-छात्राओं को बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध कराया जाये।
19. मान्यता पत्रावली में सलग्न समस्त पत्राजात के सत्य होने का दस रुपये का नोटरी शपथ पत्र खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।

भवदीय

20/12/16
(एम0पी0वमी)

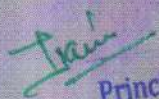

Manager

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।

पृ0स0 शि0स0/

/2016 K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghat (U.P.)

प्रतिलिपि— खण्ड शिक्षा अधिकारी, पिलाना को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित विद्यालय के भवन तथा पत्रावली में सलग्न पत्राजातों/अभिलेखों का मिलान मूल प्रति से कर विद्यालय का नियमानुसार संचालन करे।



Principal
K.B.M. INTERNATIONAL SCHOOL
Singhawali Ahir, Baghat (U.P.)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बागपत।